पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग

जून, 2022 मास की महत्वपूर्ण घटनाएं इस प्रकार हैं:-

1. पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग ने केंद्रीय पेंशन प्रक्रमण केंद्रों और बैंकों में पेंशन संबंधी कार्यों को संभालने वाले क्षेत्र के अधिकारियों के लिए जागरूकता कार्यक्रम की एक श्रृंखला शुरू की है। चूंकि प्रमुख पेंशन संवितरण प्राधिकरण बैंक हैं, इसलिए इस श्रृंखला में पहला कार्यक्रम देश के उत्तरी क्षेत्र को कवर करते हुए, उदयपुर में भारतीय स्टेट बैंक के अधिकारियों के लिए 20 और 21 जून, 2022 को आयोजित किया गया। पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग के अधिकारियों की एक टीम ने भारतीय स्टेट बैंक के क्षेत्रीय अधिकारियों को अद्यतन करने के उद्देश्य से केंद्र सरकार के पेंशनभोगियों को पेंशन के वितरण के संबंध में पेंशन नीति सुधार और डिजिटलीकरण पर सत्र लिया। पेंशनभोगियों से संबंधित आयकर मामलों के साथ-साथ वार्षिक जीवन प्रमाणपत्र जमा करने के डिजिटल साधनों पर विशेष सत्र आयोजित किए गए। मुख्य नियंत्रक (पेंशन), सीपीएओ ने पेंशनभोगियों की शिकायतों के कारणों को साझा किया और सुझाव दिया कि बैंक द्वारा निवारण के लिए कार्रवाई की जाए।

2. पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग ने 28 जून, 2022 को पुडुचेरी में पेंशनभोगी जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया। महामारी के पश्चात् यह देश के दक्षिणी क्षेत्र को कवर करते हुए पहला भौतिक रूप से जागरूकता कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम में चेन्नई और पुडुचेरी के पेंशनभोगी संघों के सहयोग से चेन्नई और पुडुचेरी के 300 से अधिक पेंशनभोगियों ने भाग लिया। पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग के अधिकारियों की एक टीम ने केंद्र सरकार के पेंशनभोगियों को पेंशन/कुटुंब पेंशन मंजूरी के संबंध में पेंशन नीति में सुधार और डिजिटलीकरण पर सत्र लिया, जिसका उद्देश्य सरकार की "सुविधापूर्ण जीवन" पहल के तहत किए गए परिवर्तनों का पेंशनभोगियों को अद्यतन करना है। पेंशनभोगियों से संबंधित आयकर मामलों के साथ-साथ वार्षिक जीवन प्रमाणपत्र जमा करने के डिजिटल साधनों पर विशेष सत्र आयोजित किए गए। इन कार्यक्रमों का उद्देश्य केंद्र सरकार के पेंशनभोगियों को पेंशन पात्रता और प्रक्रियाओं के बारे में विभिन्न नियमों और प्रक्रियाओं के बारे में जागरूकता फैलाना है और साथ ही नीति और प्रक्रियाओं में विभिन्न संशोधनों के माध्यम से समय-समय पर होने वाले परिवर्तनों के बारे में पेंशनभोगियों को अद्यतन करना है। ऐसे कार्यक्रम पेंशनभोगियों से पेंशन नीति के फीडबैक तंत्र के रूप में भी कार्य करते हैं। मुख्य नियंत्रक (पेंशन), सीपीएओ, वित्त मंत्रालय ने पेंशनभोगियों द्वारा सामना की जाने वाली सामान्य शिकायतों, उनके निवारण के तरीकों के साथ-साथ पेंशनभोगियों के 'सुविधापूर्ण जीवन' को बढ़ाने के लिए सीपीएओ द्वारा की गई नई पहलों के बारे में जानकारी देते हुए पेंशनभोगियों को संबोधित किया। सीजीएचएस के एक प्रतिनिधि ने भी प्रतिभागियों को संबोधित किया और पेंशनभोगियों द्वारा उठाए गए प्रश्नों पर जानकारी प्रदान की।

3. पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग (डीओपीपीडब्ल्यू) ने 14 जून, 2022 को निर्देश जारी किया है कि पेंशन के संशोधन का लाभ पांचवें एवं छठे वेतन आयोग में संशोधित वेतनमान के न्यूनतम 50 प्रतिशत और सांतवे वेतन आयोग में नोशनल वेतन के 50 प्रतिशत

जारी --- 2

अनिवार्य सेवानिवृत्ति पेंशन या अनुकंपा भत्ता (पदच्यूति/हटाने पर) प्राप्त करने वाले पिछले पेंशनभोगियों को भी क्रमशः 1.1.1996, 1.1.2006 और 1.1.2016 से उनकी पेंशन को संशोधित करते समय उपलब्ध होगा। पूर्व के आदेशों के अनुसार, यह लाभ अनिवार्य सेवानिवृत्ति पेंशन या अनुकंपा भत्ता प्राप्त करने वाले पेंशनभोगियों के लिए उपलब्ध नहीं था।

4. सीपेनग्राम्स में पंजीकृत शिकायतों का समय पर और गुणात्मक निपटान सुनिश्चित करने के लिए, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग ने दिनांक 24.06.2022 को उप-सचिव (पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग) की अध्यक्षता में 04 मंत्रालयों/विभागों/संगठनों (अर्थात प्रधान रक्षा लेखा महानियंत्रक(पी) इलाहाबाद, रेल मंत्रालय, गृह मंत्रालय और रक्षा वित्त विभाग) के साथ भारत वीसी द्वारा अंतर-मंत्रालयी समीक्षा बैठक आयोजित की।

5. पेंशन और पेंशनभोगियों के कल्याण विभाग ने सभी केंद्र सरकार के ई-गवर्नेंस सर्विस डिलीवरी पोर्टल्स के बीच एनईएसडीए आकलन 2021 के अनुसार सभी मूल्यांकन में 85% से अधिक का अनुपालन करते हुए भविष्य (डीओपीपीडब्ल्यू द्वारा विकसित पेंशन संस्वीकृति और भुगतान के लिए एक ऑनलाइन ट्रैकिंग प्रणाली) के लिए तीसरा रैंक हासिल किया है। रैंकिंग अभिगम्यता, सामग्री उपलब्धता, उपयोग में सुगमता, सूचना सुरक्षा तथा गोपनीयता, अंतिम सेवा वितरण, एकीकृत सेवा वितरण, स्थिति एवं अनुरोध ट्रैकिंग पर आधारित है। इन मानदंडों के आधार पर रैंक 3 हासिल करने में सक्षम होना बहुत ही श्रेयस्कर है।

6. भविष्य, विभाग द्वारा विकसित एक वेब आधारित ऑनलाइन पेंशन संस्वीकृति और भुगतान ट्रैकिंग प्रणाली है। यह प्रणाली सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारी और प्रशासनिक अधिकारियों दोनों को विलंब की निगरानी करने और ट्रैक करने में मदद करती है। प्रशासनिक अधिकारियों को विभिन्न पेंशन नियमों के उपबंधों के अनुसार अंतर्निहित स्वचालित परिकलन से भी लाभ होता है। दिनांक 01.07.2022 की स्थिति के अनुसार, 97 मंत्रालयों/विभागों/शीर्ष निकायों के मुख्य सचिवालय और 815 संबद्ध कार्यालयों में 7858 डीडीओ के माध्यम से भविष्य लागू है। 'उमंग प्लेटफॉर्म' पर एक मोबाइल ऐप भी लॉन्च किया गया है जिसके द्वारा विभिन्न हितधारकों को 'भविष्य' पर देखा जा सकता है। दिनांक 01.07.2022 की स्थिति के अनुसार, इस प्रणाली के माध्यम से प्रक्रमण के विभिन्न चरणों में 35088 सेवानिवृत्त होने वाले/सेवानिवृत्त कर्मचारियों के पेंशन संबंधी मामले हैं। इसके अतिरिक्त, इस ऐप द्वारा अब तक 164971 पेंशनभोगियों की बाबत पीपीओ तैयार किए गए और उन्हें जारी किया गया। 'भविष्य' प्रणाली के माध्यम से जून, 2022 मास में 3351 पीपीओ जारी किए गए थे। 'भविष्य को ई-पीपीओ जनरेट करने के लिए पीएफएमएस (PFMS) पेंशन मॉड्यूल के साथ सफलतापूर्वक एकीकृत किया गया है।

7. पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग ने माननीय राज्यमंत्री (पीपी), डॉ जितेंद्र सिंह के तत्वावधान में 15 जून 2022 को 'भविष्य प्रशिक्षण और फीडबैक' पर एक कार्यशाला आयोजित की, जिसमें माननीय मंत्री महोदय ने भविष्य के विभिन्न हितधारकों अर्थात

जारी ---3

सेवानिवृत्त, पेंशनभोगियों और पेंशन से निपटने वाले अधिकारियों से बातचीत की और भविष्य प्रणाली के लिए उनके विचार/सुझाव सुने।

8. भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण(एएसआई), आसूचना ब्यूरो और अन्य मंत्रालयों/विभागों के अधिकारियों के लिए भविष्य पर 8 (आठ) प्रशिक्षण सत्र आयोजित किए गए।

9. राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) पर जागरूकता फैलाने के लिए विभाग ने अपने विभागीय ट्विटर हैंडल पर एनपीएस से संबंधित 75 महत्वपूर्ण नियमों की एक श्रृंखला शुरू की है।

10. अनुभव: मार्च, 2015 में योजना के आरंभ होने के बाद से, 8502 आलेख प्रकाशित किए गए है और दिनांक 30.06.2022 तक 'अनुभव पोर्टल' के तहत विभिन्न मंत्रालयों/विभागों द्वारा 4343 आलेख प्रकाशन हेतु प्रक्रियाधीन हैं। जून, 2022 मास में, अनुभव के 59 आलेख प्रकाशित किए गए।

11. संकल्प: 'संकल्प' पहल के तहत, विभाग ने अब तक 47 पूर्व-सेवानिवृत्ति परामर्श(पीआरसी) कार्यशालाएं आयोजित की हैं, जिससे 5972 कर्मचारियों को लाभ हुआ है।

12. माह के दौरान, 4262 शिकायतें दर्ज की गई और 4707 का निपटान किया गया। 30 जून, 2022 को अंत शेष 32080 है। विस्तृत स्थिति इस प्रकार है:-

	दिनांक 01/06/2022 को अग्रानीत	माह के दौरान प्राप्त शिकायतें	माह के दौरान निपटाई गई शिकायतें	एक माह के अंदर निपटाई गई शिकायतें	30/06/2022 को लंबित कुल शिकायतें
कुल	3653	4262	4707	1842	3208

13. जेम (GeM) के माध्यम से खरीद:- पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग ने जून, 2022 के दौरान इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं, फर्नीचर और स्टेशनरी आदि (उत्पादों के लिए आर्डर) की आपूर्ति के लिए रुपये 418796/- की राशि के लिए 17 (सतरह) आर्डर तथा सेवाएं (अल्प अवधि के लिए वाहनों को किराए पर लेना) के लिए रुपये 9250/- की राशि के लिए 01 (एक) आर्डर जेम के माध्यम से दिए हैं।